



कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2022-23/ 2569

दिनांक 21/3/23

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14() 2021/ जयपुर रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/3797-98 दिनांक 15.11.2022 व उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाईन EDS दिनांक 15.11.22 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के Fil No. 8 बी/राज 048/2022-JPR Date 29 th August, 2022 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में जारी किये गये EDS का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क.सं.	कमियां	जवाब
1.	Officer responsible for violation and action taken under FCA, 1980 shall be submitted by the State Govt.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक 227 दिनांक 2.03.2023 (संलग्न) के अनुसार सेगमेंट नम्बर 1, 2 व 5 में क्रमशः 28 मीटर, 30 मीटर व 54 मीटर (कुल 112 मीटर) सड़क बनी हुई है। जो कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1992-1994 की अवधि में बनाई गयी है (पत्र संलग्न)। यह सड़क पूर्व में निर्मित है, तथा नई सड़क नहीं बनायी गयी है। उक्त तीनों सेगमेंट की भूमि नोटिफाईड (घोषित) वन क्षेत्र से बाहर है। तथा राजस्व रिकार्ड में वन भूमि में दर्ज है। लेकिन वन विभाग के रिकार्ड में वन भूमि दर्ज नहीं है। जिसकी जानकारी वन विभाग को भी नहीं थी। अतः जानबूझकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदनुसार ईडीएस अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत है।
2.	As per DSS analysis, pre-plantation operation within the proposed CA land is visible through Google imagery. Thus State Govt. is requested to submit the clarification or revised CA area.	CA DFL area की Location में संशोधन कर दिया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4 सेट में।

भवदीय,

(मनफूल बिश्नोई)

उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)

दिनांक 21/3/23

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2022-23/ 2570

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड द्वितीय विराटनगर

क्रमांक: 227

दिनांक 02 मार्च 2023

श्रीमान उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

विषय:- प्रत्यावर्तन 0.9885 हैक्टेयर वन भूमि सड़क निर्माण कार्य एनएच-8 किमी नं. 181 (आतेला) से एसएच-08 ए (खाचरियावास कल्याणपुरा रेनवाल) किमी 0/0 से 13/0 तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के संबंध में।

प्रसंग:- एफ()एफसीए/उवसंजउ/2022-23/14018 दिनांक 08.12.2022 एवं श्रीमान उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी के पत्रांक 8 बी/राज()/48/2022-जेपीआर दिनांक 29.08.2022 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निम्नानुसार ईडीएस जवाब प्रस्तुत है।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र में लिखा गया है कि कौनसे अधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन के जिम्मेदार है इस संदर्भ में निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(अ) सड़क का 112 मीटर हिस्सा जो कि तीन टुकड़ों में बना हुआ है के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1992-1994 की अवधि में बनाई गयी है। अतः यह सड़क पूर्व में निर्मित है तथा नई सड़क नहीं बनायी गयी है

(ब) उक्त 112 मीटर पूर्व में निर्मित सड़क तीन टुकड़ों में बनायी गई है व यह टुकड़े घोषित वन क्षेत्र से बाहर है तथा राजस्व रिकार्ड में वन भूमि में दर्ज है लेकिन वन विभाग के रिकार्ड में वन भूमि दर्ज नहीं है। (क्योंकि यह नोटिफाईड फोरेस्ट नहीं है) संभवत इसकी जानकारी उस समय वन विभाग को भी नहीं थी।

अतः जानबूझकर एफसीए 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदनुसार ईडीएस अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत है।

12-7

(अनिल कुमार मीणा)

सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उपखण्ड विराटनगर द्वितीय

कार्यालय सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

क्रमांक:- 203

दिनांक:- 6/2/23

सहायक अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड-विराटनगर।

विषय:- सम्पर्क सड़क एनएच-8 बागावास अहिरान से आंतेला वाया झिण्डा वाला
बालाजी कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लेख है कि उक्त सड़क
कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वर्ष 1992 से
1994 की अवधि में निर्मित करवाई गई थी जिसकी लम्बाई 4.00 किमी. एवं लागत राशि
रुपये 18.00 लाख है।

इस विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मित करवाई गई अन्य सड़कों के
साथ इस सड़क को भी आपके विभाग को सम्भलवाया जा चुका है।

पत्र सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(शिवराम जाटव)

सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, खण्ड-जयपुर प्रथम को सूचनार्थ।

(शिवराम जाटव)

सहायक अभियन्ता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय